

प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी)

के अन्तर्गत लखनऊ, गोण्डा, सुलतानपुर, बहराइच, उन्नाव, हरदोई, इटावा, मुरादाबाद, गाजियाबाद, मेरठ में जी+3 प्रकार के फ्लैट/भवनों का ऑनलाइन पंजीकरण प्रारम्भ

ई-पंजीकरण तिथि : 09.03.2019 से 06.05.2019

जनपद-लखनऊ ग्राम-जाहिरपुर, कुर्सी रोड UPRERAPRJ692790	जनपद-लखनऊ (ग्राम-अनौरा) UPRERAPRJ149098	जनपद-लखनऊ (ग्राम-कनकहा) UPRERAPRJ542529	ग्राम-मिरानपुर लखनऊ UPRERAPRJ109612
जनपद-गोण्डा UPRERAPRJ375818	जनपद-सुलतानपुर लोहरामऊ UPRERAPRJ-15327	जनपद-बहराइच में बहराइच भिन्ना मार्ग, भूमि विकास एवं गृहस्थान योजना UPRERAPRJ772651	
जनपद-उन्नाव ग्राम सिगरौसी UPRERAPRJ583195	जनपद-हरदोई UPRERAPRJ968069		जनपद-इटावा UPRERAPRJ303513
जनपद-मुरादाबाद परिषद की योजना संख्या-4 सेक्टर-15 UPRERAPRJ885948	जनपद-मुरादाबाद परिषद की योजना संख्या-4 सेक्टर-16 UPRERAPRJ850933	मण्डोला विहार गाजियाबाद, सेक्टर-19 UPRERAPRJ145311	जनपद-मेरठ जागृति विहार योजना UPRERAPRJ321319

भवनों का विवरण

कार्पेट एरिया वर्ग मीटर	सुपर एरिया	प्रति फ्लैट/ भवन की कुल लागत रु. लाख में	भारत सरकार/राज्य सरकार द्वारा अनुदान के रूप में दी जाने वाली धनराशि (रुपये में)	पंजीकरण धनराशि (रुपये में)	शेष धनराशि (रुपये में)	फ्लैट/भवन में मासिक किश्तों की संख्या एवं प्रति किश्त की धनराशि	
						संख्या	धनराशि (रु. में)
22.77	34.07	4.50	2,50,000.00	5000.00	1,95,000.00	60	4095.00

❖ विशेष नोट ❖

- आवेदन पत्र भरने से पूर्व परिषद की वेबसाइट <http://www.upavp.in> पर उपलब्ध पंजीकरण पुस्तिका में दिए गये निर्देशों का भली-भांति अध्ययन अवश्य कर लें, ताकि आवेदन पत्र में किसी प्रकार की त्रुटि न हो। अधूरे एवं त्रुटिपूर्ण आवेदन पत्र स्वीकार नहीं होंगे।
- आवेदक यदि केन्द्र सरकार/सूडा/डूडा/नगर निगम/नगर पालिका की पात्रता सूची में नहीं पाया जाता है तो आवंटन/पंजीकरण निरस्त कर दिया जायेगा।
- पंजीकरण तथा आवंटन के सम्बन्ध में केन्द्र सरकार एवं उ.प्र. सरकार द्वारा निर्गत आदेश/दिशा-निर्देश बाध्यकारी होंगे।
- प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी)-सबके लिए आवास के सम्बन्ध में अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए भारत सरकार की वेबसाइट www.mohua.gov.in पर Login कर सकते हैं।
- आवेदक को आवेदन करने वाले स्थान पर सूडा/डूडा/नगर निगम, नगर पालिका में पंजीकृत होना अनिवार्य है।
- रेरा से संबंधित विस्तृत जानकारी हेतु www.up-rera.in पर लॉगिन करें।

प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) में भागीदारी में किरायेदारों के अन्तर्गत सी.एस.सी /सूडा/डूडा/नगर निगम/नगर पालिका से चयनित पात्र लाभार्थी ही फ्लैट/भवन पंजीकरण हेतु आवेदन कर सकते हैं।